अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नारायण नाथ बनाम रामा वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम, अपील संख्या 117/2023
(अजमेर)

	श्री अक्षयनाथ देवड़ा एड़वोकेट नारायण नाथ बनाम रामा वगैरह (117/2023)	
29.03.2023	यह अपील श्री अक्षयनाथ देवड़ा एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के प्रकरण संख्या 01/2023 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 के पश्चात् लगातार स्थगन बाबत् निवेदन किया गया एवं दिनांक 10.03.2023 को स्थगन बाबत् बहस किये जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 से 13.07.2012 तक प्रभावी रहा है जिससे प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद है फिर भी सब्जेक्ट टू टेक्नीकल ईफेक्ट की वजह से अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के सद्भाविक कारण है एवं गुणावगुण पर प्रकरण दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानते हुए अपील का निर्णय गुणावगुण पर किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र में देरी के जो कारण अंकित किये गये है जो संतोषप्रद होने व न्यायहित मे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे।** अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया किया कि वादीया/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस प्रस्तुत कर निवेदन किया वादीगण की खातेदारी की आराजियात ग्राम नारेली तहसील अजमेर में अवस्थित है जिसका वर्णन निम्न प्रकार हैः–चौसाला खसरा नम्बर 3527 रकबा 01–16–00 बीघा वर्किंग खसरा नम्बर 3902 रकबा 01–16–00 बीघा आधार खसरा नम्बर 4611 रकबा 0.29 है. जो कि आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2019–2022 एवं सम्वत 2023–2026 में धन्ना व मोतीनाथ पिसरान रूघानाथ नाबालिक बसरबराही माता ग्यारसी बाई बेवा रूघनाथ एवं हजारी नाथ वल्द गोरर्धन नाथ जोगी की खातेदारी के साथ खसरा नम्बर 3527	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नारायण नाथ बनाम रामा वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम, अपील संख्या 117/2023

(अजमेर)

श्री नारायण नाथ देवड़ा

रकबा 01–16–00 वादीगणं/अपीलांट व तरतीबी प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस के पूर्वजों के नाम दर्ज चली आ रही है। विवादित आराजियात चौसाला नम्बर 3527 रकबा 01–16–00 के नये नम्बर 3902 रकबा 01–16–00 बने जो कि सम्वत 2041–42 वर्किंग जमाबंदी में गलत रूप में बदामी देवी पत्नि मांगूनाथ के नाम दर्ज कर दी गई जबकि बदामी बेवा मांगूनाथ का विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है एवं विवादित आराजीयात के पुनः नये नम्बर 4611 रकबा 0.29 है0 बने जिसे भी बदामी के वारिसान के नाम दर्ज कर दिया गया और बदामी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 से 04 ने विवादित भूमि को आगे प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 5–7 के नाम कर दिया,जबकि विवादित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी आराजियात है, जिसे स्वयं के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है जिस हेतु राजस्व वाद उद्घोषणा खातेदारी प्रस्तुत किया गया। लगभग वाद पत्र के कथनो पर आधारित अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस को अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने तथा रहन, बेचान व मुन्तकिल करने से ताफैसला वाद पाबद फरमाने का निवेदन किया एवं अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02.01.2023 द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी करने का आदेश प्रदान कर दिया, तत्पश्चात् वादीया लगातार प्रत्येक तारीख पेशी पर स्थगन बाबत् निवेदन करती रहे एवं गत पेशी को वादीगण द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवदेन करने के बावजूद भी धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया। जिस आदेश दिनांक 02.01.2023 के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रसतुत की गई है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी बैहसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन राजस्व विभाग द्वारा कारित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की आड़ में अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखली का नाजायज प्रयास करने, भूमि की शक्ल व किस्म परिवर्तित करने व रहन, बेचान करने पर सख्त आमादा है जिससे यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थी अपने पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात से महरूम हो जायेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखल करने का नाजायज प्रयास करने एवं अन्यत्र रहन, बेचान व मुन्तकिल करने से ताफैसला अपील पाबंद फरमावें।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व अपील मीमो व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस प्रस्तुत कर निवेदन किया वादीगण की खातेदारी की आराजियात ग्राम नारेली तहसील अजमेर में अवस्थित है। चौसाला खसरा नम्बर 3527 रकबा 01–16–00 बीघा वर्किंग खसरा नम्बर 3902 रकबा 01–16–00 बीघा आधारा खसरा नम्बर 4611 रकबा 0.29 है. जो कि आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2019–2022 एवं सम्वत 2023–2026 में धन्ना व मोतीनाथ पिसरान रूघानाथ नाबालिक बसरबराही माता ग्यारसी बाई बेवा रूघनाथ एवं हजारी नाथ वल्द गोरधन नाथ जोगी की खातेदारी के साथ खसरा नम्बर 3527 रकबा 01–16–00 वादीगण/अपीलांट व तरतीबी प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस के पूर्वजों के

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नारायण नाथ बनाम रामा वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम, अपील संख्या 117/2023

(अजमेर)

श्री आरायणनाथ देवडा

लगातार

नाम दर्ज चली आ रही है। विवादित आराजियात चौसाला नम्बर 3527 रकबा 01–16–00 के नये नम्बर 3902 रकबा 01–16–00 बने जो कि सम्वत 2041–42 वर्किंग जमाबंदी में गलत रूप में बदामी देवी पत्नि मांगूनाथ के नाम दर्ज कर दी गई जबकि बदामी बेवा मांगूनाथ का विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है, जबकि विवादित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी आराजियात है। यदि प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए विवादित आराजी को सरंक्षित नहीं किया जाता है तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं किन्तु उभय पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय संगत है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है, इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 01/2023 में वर्णित चौसाला खसरा नम्बर 3527 रकबा 01–16–00 बीघा वर्किंग खसरा नम्बर 3902 रकबा 01–16–00 बीघा आधार खसरा नम्बर 4611 रकबा 0.29 है वाकै ग्राम नारेली तहसील व जिला अजमेर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner